"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 सितम्बर 2010—आश्विन 8, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2010/1371.—05-भटगांव विधान सभा उप चुनाव-2010 मतगणना कार्य हेतु अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2008 (1), दिनांक 30 सितम्बर, 2010 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुमार कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2010—8 आश्विन, 1932 (शक)

अधिसूचना

संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2008 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के उप चुनाव के दौरान मतों की गणना में रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिट्र्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2008 (1) दिनांक 8 जुलाई, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करता है ;

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद संख्या 5-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टियां और जोड़ी जायेंगी—

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
5-भटगांव	1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सूरजपुर 2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर 3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजगंज

उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. अजय कुमार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 30th September, 2010—8 Asvina, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2008 (1).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No. 434/CG-LA/2008 (1), dated 8th July 2008 as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Returning Officers of Assembly Constituencies, to assist the Returning Officer in counting of votes during bye election to the Legislative Assembly of Chhattisgarh, namely ;

In column 2 of the Table appended to the said notification, against item No. 5-Bhatgaon Assembly Constituency, the following entries will be added.

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency (1)	Additional Assistant Returning Officer (2)
5-Bhatgaon	1. Sub Divisional Officer (R), Surajpur 2. Sub Divisional Officer (R), Sitapur 3. Sub Divisional Officer (R), Ramanujganj

The appointment of above Officer as Assistant Returning Officer in said Assembly Constituency shall cease to be effective on successful completion of counting of votes in the Constituency concerned.

By order,

Sd/-
(K. AJAY KUMAR)
Secretary
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.